

के

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-183/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० ऋचा चौबे, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, गोपालगंज के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक 01.12.2025 से 29.05.2026 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-183/2025-

60(2)

पटना, दिनांक 12/01/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/डा० ऋचा चौबे, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wanthan K 12/1/26
सरकार के उप सचिव।